कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
लोकपाल, मनरेगा
जिला– वैशाली

दिनांक	वाद संख्या 46/13–14 में पारित आदेश की प्रतिलिपि	अभ्युक्ति
30.12.13	यह शिकायत, श्री उमेश राय, पिता– स्व0 लखनदेव राय, ग्राम– महैया पो0– मालपुर, ग्राम पंचायत– मालपुर, प्रखण्ड– पातेपुर, जिला– वैशाली के दिनांक 21.11.2013 के आवदेन पत्र पर अंकित किया गया था। उनके द्वारा लगाये गये आरोप निम्न है :– ग्राम पंचायत मालपुर की मनरेगा योजनाओं में उनके द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं मिला है। शिकायतकर्त्ता के शिकायत के संबंध में पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत – मालपुर से कारण पृच्छा की मांग की गयी। पंचायत रोजगार सेवक ने अपने कारण पृच्छा में बताया कि शिकायतकर्त्ता द्वारा दिनांक 25.07.2011 से 29.07.2011 तक पेड़ रोपने का कार्य किया गया है। जिसका मस्टर रॉल सं0 714330 संधारण है। लेकिन श्री उमेश राय के द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के कारण उसका भुगतान लंबित है। पंचायत रोजगार सेवक ने आगे यह भी बताया कि उक्त शिकायत के बाद शिकायतकर्त्ता से सम्पर्क कर मस्टर रॉल पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया। परन्तु शिकायतकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया। उक्त संबंध में मेरे द्वारा शिकायतकर्त्ता से सम्पर्क किया गया तथा इस संबंध में जानकारी प्राप्त किये जाने पर उन्होंने बताया कि मुझे मजदूरी दें नहीं रहे थे और केवल हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे थे। अगर हस्ताक्षर कर देते तो मुझे मजदूरी फिर कैसे मिलती। मजदूरी देंगे तब हस्ताक्षर करेंगें। उक्त संबंध में उन्होंने डाकघर की पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत की है। शिकायत दर्ज करने की तारीख तक पासबुक में किसी प्रकार की जमा राशि अंकित नहीं की गयी है। वाद का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्रामीण मजदूरों में समय से मजदूरी नहीं दिये जाने का खौफ व्याप्त है, और यह समुचित	

विश्वास पैदा नहीं किये जाने का परिणाम है।

पंचायत रोजगार सेवक को मस्टर रॉल पर मजदूर के हस्ताक्षर मजदूरी किये जाने के दौरान ही ली जानी चाहिये थी। शिकायत किये जाने के पश्चात यह प्रयास किया जाना कार्य के प्रति अनियमितता का सूचक है।

मेरे द्वारा शिकायतकर्त्ता को भरोसा दिया गया कि आप मस्टर रॉल पर हस्ताक्षर कर दें। मजदूरी आपको मिल जायेगी परन्तु फिर भी उनके द्वारा मजदूरी मिल पाने में संदेह महसूस किया गया। फिर मेरे द्वारा पुनः समझाया गया कि आप मस्टर रॉल पर हस्ताक्षर करे दें अगर मजदूरी नहीं मिली तो मैं भुगतान दूँगा। तब वे हस्ताक्षर करने को राजी हुए।

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सामजिक सुधार से संबंधित कार्यक्रम है। इसमें मजदूरों के हित की रक्षा किया जाना ही सर्वापरि है तथा ससमय मजदूरी का भुगतान प्रमुख लक्ष्य है। पंचायत रोजगार सेवक का यह कार्य असवैधानिक है।

अतः पंचायत रोजगार सेवक का मासिक भुगतान को तबतक लंबित रखा जाये जबतक उक्त शिकायतकर्त्ता के मजदूरी का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। मजदूरी की अदायगी के बाद इनका मासिक भुगतान किया जाये। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी, पातेपुर करायेंगें।

हस्ताक्षर

30/12/13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 2752 / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 31.12.13

प्रतिलिपिः मुखिया, ग्राम पंचायत–मालपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत, मालपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड– पातेपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

30.12.13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 2752 / अभिकरण, हाज़ीपुर दिनांक 31.12.13

प्रतिलिपिः शिकायतकर्त्ता, श्री उमेश राय, ग्राम पंचायत– मालपुर, प्रखण्ड– पातेपुर, जिला–वैशाली को सूचनार्थ।

30/12/13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 2752 / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 31.12.13

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

30/12/13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 2752 /अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 31.12.13

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

30/12/13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 2752 / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 31.12.13

प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

30/12/13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।